न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 09/2017 G.C.M.S. No. 2017/00117 दर्ज दिनांक : 19.01.2017

अपीलार्थिगण:

1. रगाराम पुत्र जोराराम, जाति कुम्हार, निवासी विंगरला, तहसील रानी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. चूनाराम पुत्र जोराराम
2. पूनाराम पुत्र जोराराम, जातिगण कुम्हार, निवासीगण विंगरला, तहसील रानी व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/10 (108/2013) बअनवान चुनाराम बनाम पूनाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2016 एवं सपठित धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1
3. रेस्पोंडेंट संख्या 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/10 (108/2013) बअनवान चुनाराम बनाम पूनाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के विरुद्ध धारा 183 व 188 का वाद इस आशय का पेश किया कि उसके खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम विंगरला में खसरा नम्बर 361 व 366 रकबा 2.91 हैक्टेयर स्थित है। सभी पक्षकार आपस में सगे भाई है इसलिए वाद प्रस्तुति के 8 वर्ष पूर्व विवादित भूमि पर झौंपड़ा बनाकर रहने की अनुमति वादी ने प्रतिवादीगण को दी थीं, जिसे दिनांक 28.3.10 को कब्जा हटाकर पुनः सुपुर्द करने हेतु कहा तो मना कर दिया और झगडा करने पर आमादा हुए इसलिए वाद के साथ प्रस्तुत नक्शे में लाल रंग से दर्शाई भूमि का कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया। उपरोक्त वाद का अपीलाण्ट की ओर से जवाबदावा पेश करते हुए सही तथ्य अंकित किये कि सभी पक्षकारान आपस में सगे भाई है तथा जोरारामजी की संतानें है इनके अलावा भी ओर 2 भाई है, जिनको जान–बूझकर वाद में पक्षकार नहीं बनाया, भूमि पैतृक है, जिसका करीब 35 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कर दिया था, तब से ही मौके पर आज की स्थिति अनुसार सभी सहखातेदारान के कुंए व सड़ा के पास रहवासीय मकानात, पशुओं के निवास गृह एवं बाडे इत्यादि अलग-अलग बने हुए हैं, जिसमें अलग-अलग खातेवार निवास करते आ रहे हैं। उपरोक्त स्थिति 35 वर्षों से लगातार चली आ रही है। इसी अनुसार विभाजन हुआ था। चूंकि अपीलाण्ट के हिस्से में रही कृषि भूमि खसरा नम्बर 363 व 366 कुंए व मकान से दूर है, ऐसी स्थिति में वाद मयाद के बाहर है तथा अपीलाण्ट का कब्जा बतौर मालिक उपरोक्त मकान परिसर वगैरह पर पिछले 35 वर्षों से लगातार, शांतिपूर्वक, बेरोकटोक, निर्विघ्न चला आ रहा है, जिसका ज्ञान वादी रेस्पोडेण्ट को 35 वर्षों से लगातार रहा है, क्योंकि वादी रेस्पोंडेण्ट का मकान भी पास में ही बना हुआ है। उपरोक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में तनकियात हेतु लम्बित था इसी दौरान राजस्व लोक अदालत कैम्प के दौरान बिना विधिवत् कार्यवाही किये ही हिटलरशाही तरीके से बिना तनकियात कायम किये, बिना दोनों पक्षों की साक्ष्य लिये सीधे ही पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिये, जो अवैध व शून्यवृत्त है। क्योंकि वाद में जब प्रतिवादी अपीलाण्ट की ओर से पूर्णरूपेण जवाबदावा पेश कर वाद के तथ्यों को इन्कार करते हुए स्वयं का अधिकार होना क्लैम किया था ऐसी स्थिति में तनकियात कायम किया जाना आज्ञापक था, साथ ही तनकियात कायम किये जाने के बाद दोनों पक्षों को साक्ष्य का उचित व पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था, तत्पश्चात् ही विधिनुसार निर्णय पारित किया जाता। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया का अभाव रहा है ऐसी सूरत में ऐसे निर्णय व डिक्री को एक क्षण भी कायम नहीं रखा जा सकता है। वाद में किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया है, न ही साबित करवाया है ऐसी स्थिति में किस आधार पर वाद को डिक्री किया है यह भी समझ से परे है। साथ ही वादी के हक हकूक, अधिकारों को धारा 63 (1)(4) राज. टिनेन्सी एक्ट अनुसार स्वतः ही निर्वापित हो चुके हैं। इस कारण भी वाद खारिज योग्य था, जिसे गलत रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व तथ्यों की भारी भूल की है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में पेशी दिनांक 1.5.15 को नियत थी, लेकिन दिनांक 1.5.15 की आदेशिका में कोई तथ्य अंकित नहीं हैं और आदेशिका खाली है। तत्पश्चात् आदेशिका दिनांक 20.6.15 को अंकित की गई है, जिसमें पत्रावली कैम्प कोर्ट वरकाणा में पेश होना बताया, जहां पर आपसी सहमति नहीं होने से पत्रावली पुनः न्यायालय में पेश होने की आदेशिका अंकित है। तत्पश्चात् उपरोक्त आदेशिका द्वारा बिना अपीलाण्ट को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान किये, अपीलार्थी के उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाकर उस पर सीधे ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जो सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवरण एवं विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में वादपत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2016 को निर्णित व डिक्री किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 13.01.2017 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।

2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में अपीलांट व उसके अधिवक्ता को सुने बिना, अपीलांट की सहमति के बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसकी जानकारी दिनांक 11.01.2017 को नकल हेतु आवेदन पेश करने व नकल प्राप्त होने से हुई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब विद्यमान नहीं हैं तथा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजदूगी में पारित किया गया है तथा विलंब अपीलांट द्वारा जानबूझकर कारित नहीं किया गया है। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात से बेदखली, कब्जा प्राप्ति व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2010 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र का खण्डन किया गया तथा पत्रावली दिनांक 02.02.2011 से वास्ते कायमी तनकीयात हेतु नियत रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 20.06.2015 को कैम्प कोर्ट में रखी गई। जिसमें सहमति नहीं होने से पत्रावली नियमित न्यायालय में रखी गई। इसी दरम्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट वरकाणा में रखकर वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा निष्पादित किए जाने बाबत कोई दस्तोवजात उपलब्ध नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2016 को कैम्प कोर्ट में पक्षकारान की उपस्थिति बाबत आदेशिकार पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाए जाकर अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय व डिक्री पारित किया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पक्षकारान द्वारा निष्पादित राजीनामा के आधार पर पारित नहीं हैं।

5. अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम किए बिना तथा उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित किए बिना एवं उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना दिनांक 10.05.2016 को ही हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब कर पक्षकारान के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाए जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। वादपत्रों के विचारण व निर्णयन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 व राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में यह आज्ञापक प्रक्रियागत प्रावधान है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्षकारान की समुचित सुनवाई उपरांत विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए वादपत्र अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किया जाना चाहिए। लेकिन हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो दोषपूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/10 (108/2013) बअनवान चुनाराम बनाम पूनाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूअल 1956 के आज्ञापक, प्रक्रियागत विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 05.02.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रानी में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner